8. इलेक्ट्रोलिटों सहित अतिसार-रोधी औषधों की निश्चित खुराक के सम्मिश्रण ।

9. विटामिन "सी" सहित किसी अन्य टेट्रासाइक्लिनों की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

10. पिपराजाइन/सटोनिन को छोड़कर के वाटोक्लपर्मेटिव सहित किसी एंथेल्मिन्टिक की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

11. पेंट्ट व प्रोप्राइटरि मुखीय पुनर्जलपूर्ण लवण ।

12. किसी अन्य औषध के साथ पाक्सीफेनबूटाजोन अथवा फिनिलबूटाजोन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

13. एंटी स्पेसमाडिक्स को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ एनेल्जिन के निर्धारित खुराक वाल सम्मिश्रण ।

14. एंटी स्पेसमाडिक्स और/अथवा नान स्टेरायडल, प्रदाहक रोधी औषधों (नसेड्स) को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

15. किसी औषध का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसके मानक किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध अथवा यूनानी औषध के साथ उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए है ।

16. बाह्य उपयोग के सम्पादकों के सिवाय किसी अन्य औषध के साथ औषधों के हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन समूह के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

17. पेन्सिलिनों के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

मानसिक चिकित्सालयों में रोगी

2539. **श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-7-1997 की स्थिति के अनुसार देश के मानसिक रोग चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगी भरती है ;

(ख) वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक एवं 31 जुलाई, 1997 तक चिकित्सालय-वार कितने मरीजों की मृत्यु हुई ;

(ग) इनमें से चिकित्सालय-वार कितने मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बावजूद उनके परिजनों द्वारा घरने पर ले जाए जाने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वस्थ हो चुके परन्तु परिजनों द्वारा परित्यक्त मरीजों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं एवं किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) वर्ष 1991 और 1992 में विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में दाखिल किए गए अस्पतालों से छुट्टी किए गए और मृत मानसिक रोगियों का राज्यवार विवरण अनुपत्र में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 181, **अनुपत्र संख्या** 67] । वर्ष 1993 और उसके आगे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो विशिष्ट संस्थाएं है । ये है—राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और

तालिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची ।

इन दो संस्थाओं में मानसिक रूप से बीमार रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

			रा. मा. स्वा. एवं के. म. सं. सं. वि. संस्थान	
1.	24-7-97 की स्थिति के अनुसार दाखिल रोगियों की संख्या		537	41[illegible]
2.	मौतें	1991-92	11	10
		1992-93	20	11
		1993-94	9	6
		1994-95	10	13
		1995-96	18	10
		1996-97	13	[illegible]
		1997 (अप्रैल/जुलाई)	8	2
3.	स्वास्थ्य हो गए रोगी जिन्हें उनके परिजनों द्वारा नहीं स्वीकार किया गया ।		[illegible]	150 (लगभग)

इन दो विशिष्ट संस्थाओं में व्यावसायिक चिकित्सा व्यावसायिक निदेशन और प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास विभाग है।

Culrii a/ion of I\l< dkinal Plants

2540. SHRI SOLIPETA RAMA-CHANDRA REDDY: Will ihn PRIME MINIS 11 K be pleased ki state :

(a) whether there U I great de-mand in 'he world for rocdiciBal pUats tram India; tbi i| BO whethei an) taken to promote contra cullh ition ot IKII pl.m'v and

(c) i(IO, the detail I

THE MINSITER OF STATE IN THE MINSTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE SHRI MATI RENUKA CHOWDHURY

(A) yes sir

(b) and (c) schems are beig implemented for development and cuiltruction of therse plants throught various Govemetn semi government organizations and also for development of agrotechnques for theirs culcitaion this will help in taking up commercial cultivation of medicinal plants

सी॰सी॰आई॰एम॰ द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी सिद्ध महाविद्यालय

2541. श्री मुलकल मोपा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ द्वारा सारे देश में मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी/